सुरक्षित नौका परिचालन हेतु कार्ययोजना

(आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18 की उपधारा 2 (ज) के अंतर्गत नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं उनसे होने वाली मानव क्षति के न्यूनीकरण हेतु मार्गदर्शिका)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

मुख्य मंत्री
बिहार

बिहार सरकार

संदेश

बिहार एक बहु-आपदा प्रवण राज्य है। राज्य का एक बड़ा भू-भाग भूकंप, बाढ़, सुखाड़, चक्रवाती तूफान, आग, वज्रपात, शीतलहरी एवं लू जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा नाव दुर्घटना, सड़क दुर्घटना एवं डूबने से होने वाली मृत्यु जैसी मानव जनित आपदाओं से प्रभावित होता रहा है।

बिहार में नदियों की बहुतायत के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने दिनचर्या के कामों, जीविकोपार्जन, कृषि कार्यों एवं परम्पराओं से जुड़े त्योहारों के संपादन हेतु नौका यातायात का उपयोग करते रहे हैं। ऐसे में विविध कारणों से नौका दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं, जिनमें बहुमूल्य मान जिन्दगियाँ काल के गाल में समा जाती हैं। नौका संचालन हेतु नाविकों एवं यात्रियों में जागरूकता का अभाव, नाव सुरक्षा नियमों की अनदेखी, नौकाओं के निर्माण में निर्धारित मानदंडों का पालन न होना, नाव में समुचित सुरक्षा के उपकरणों की अनुपस्थिति, ओवरलोडिंग, जानवरों तथा वाहनों एवं यात्रियों का एक साथ नाव में यात्रा करना, आदि नौका दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं।

बिहार सरकार नाव दुर्घटनाओं को रोकने हेतु निरंतर प्रयासरत रही है। फलतः राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा सुरक्षित नौका परिवहन हेतु बिहार आदर्श नौका नियमावली, 2011 का गठन किया गया एवं विभिन्न स्तरों पर नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करने के निर्देश दिए गये हैं। सरकार का प्रयास है कि नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं उनमें कमी लायी जा सके।

सेन्डाई, जापान में आयोजित तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन में अंगीकृत कार्यक्रम ढांचा के आलोक में बिहार सरकार द्वारा तैयार किये गये आपदा न्यूनीकरण रोड मैप (2015-30) में भी, बिहार राज्य में आपदाओं के न्यूनीकरण के 4 प्रमुख लक्ष्यों में से एक ''बिहार में परिवहन संबंधी आपदाओं (रोड/रेल/नाव) में पर्याप्त कमी **(Substantial Reduction)**'' लाने का लक्ष्य रखा गया है।

नौक दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं उनसे होने वाली मानव क्षति के न्यूनीकरण हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18 की उपधारा 2 (ज) के अन्तर्गत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितधाराकों के सहभाग से मार्गदर्शिका तेयार की गई है। इस मार्गदर्शिका में राज्य में नौका दुर्घटना के विविध कारणों की सम्यक समीक्षा एवं अध्ययन-विमर्श के आलोक में विभागों एवं अन्य हितधारकों **(Stakeholders)** को सुपरिभाषित दायित्व सौंपे गए हैं। प्राधिकरण ने इस मार्गदर्शिका के अनुसरण में पदाधिकारियों एवं नाविकों/नाव मालिकों के क्षमता निर्माण का काम शुरू भी कर दिया है।

मुझे आशा है कि संबंधित विभागों एवं अन्य हितधारकों द्वारा इस मार्गदर्शिका के सफल क्रियान्वयन से राज्य में नौका दुर्घटनाओं में कमी आयेगी एवं बहुमूल्य मानव जिंदगियों को बचाया जा सकेगा।

(नीतीश कुमार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800 001

व्यास जी, भा.प्र.से. (से.नि.)
उपाध्यक्ष

का: 0612-2522032
फैक्स: 0612-2532311
इ–मेल: vice_chairman@bsdma.org

संदेश

बिहार एक बहु-आपदा प्रवण राज्य है। राज्य का एक बड़ा भू-भाग भूकंप, बाढ़, सुखाड़, चक्रवाती तूफान, आग, वज्रपात, शीतलहरी एवं लू जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा नाव दुर्घटना, सड़क एवं डूबने जैसी मानव जनित आपदाओं से प्रभावित होता रहा है। बिहार में बड़ी संख्या में लोग अपने दिनचर्या के कामों में, जीविकोपार्जन, कृषि कार्यों एवं परम्पराओं से जुड़े त्योहारों के संपादन हेतु नौकाओं का उपयोग करते रहे हैं। परन्तु बहुधा वे नौका दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, जिनमें बहुमूल्य मानव जिन्दगियाँ काल के गाल में समा जाती है।

बिहार सरकार नाव दुर्घटनाओं को रोकने हेतु निरंतर प्रायासरत रही है। फलतः परिवहन विभाग द्वारा नौका परिवहन सुरक्षा हेतु बिहार आदर्श नौका नियमावली, 2011 का विभिन्न स्तरों पर अनुपालन करने के दिशा निर्देश दिए गये हैं। सरकार का प्रयास है कि नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं उनकी संख्या में कमी लायी जा सके।

सेन्डाई, जापान में आयोजित तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन में अंगीकृत कार्यक्रम ढांचा के आलोक में बिहार सरकार तैयार किये गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, 2015-30 में बिहार राज्य में आपदा जोखिमों के न्यूनीकरण के 4 प्रमुख लक्ष्यों में से एक ''बिहार में परिवहन संबंधी आपदाओं (रोड/रेल/नाव) में पर्याप्त कमी (**Substantial reduction**) लाने का'' लक्ष्य रखा गया है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नौका दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण एवं रोकथाम तथा सुरक्षित नौका परिचालन हेतु कार्ययोजना का निर्माण किया गया है। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 6 जून 2017 को विभिन्न हितधारकों की भागीदारी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं समूह परिचर्चा की गई। तत्पश्चात् नौका दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु रणनीति एवं कार्य योजना बनाने हेतु एक प्रारूपण समिति का गठन किया गया जिसमें परिवहन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों एवं राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौपरिवहन संस्थान, राज्य आपदा रिस्पांस बल, राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस बल आदि के प्रतिनिधियों सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल थे।

प्रारूपण समिति द्वारा नौका सुरक्षा कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु कई बैठकें की गयीं एवं स्थानीय घाटों का क्षेत्रीय भ्रमण भी किया गया।

नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं उनसे होने वाली मानव क्षति के न्यूनीकरण हेतु इस मार्गदर्शिका का निर्माण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18 की उपधारा 2 (ज) के अंतर्गत किया गया है। क्षमता निर्माण, जन-जागरूकता, प्रवर्तन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन और अध्ययन एवं शोध इस मार्गदर्शिका/कार्ययोजना के प्रमुख घटक हैं।

मुझे आशा एवं विश्वास है कि सभी संबंधित विभागों एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से इस मार्गदर्शिका का सफल क्रियान्वयन किया जाएगा तथा राज्य में नौका परिचालन को सुरक्षित तथा निरापद बनाया जा सके।

(व्यास जी)
उपाध्यक्ष

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800 001

डा. उदय कांत मिश्र, भा.अ.से. (से.नि.)
FIE, FICI, MISWE, MISET, MISCMS, MICAS
सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

दूरभाष : 0612-2522032
फैक्स : 0612-2532311
ईमेल : mkuday@bsdma.org

संदेश

माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार सरकार, श्री नीतीश कुमार जी बिहार में आने वाली विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील एवं सजग रहते हैं। उनकी इसी संवेदनाशीलता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित नौका परिचालन हेतु कार्ययोजना का निर्माण किया गया है।

बिहार में नदियों की बहुतायत होने के कारण प्रचीन काल से ही लोग जीविकोपार्जन, कृषि कार्यों एवं परम्पराओं से जुड़े त्योहारों के सम्पादन हेतु नौकाओं का उपयोग करते रहे हैं। इतिहास गवाह है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र के हाथों लंका में स्थापना के लिए बोधि वृक्ष का अंश नौका द्वारा ही भेजा था। जिस स्थान से वह वृक्ष गंगा जी के रास्ते बंगाल की खाड़ी होते हुये युवराज महेन्द्र के हाथों श्रीलंका भेजा गया था उसे महेंद्रू घाट के नाम से आज भी जाना जाता है।

पूर्व काल में नौका निर्माण तथा संचालन की व्यवस्था अत्यंत सुरक्षित और निरापद मानी जाती थी। दुर्भाग्यवश आज के परिवेश में सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने के अक्सर नौका दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। 2004 में छठ के समय पटना और 2009 में बागमती नदी में नौका पलट जाने से कई लोग काल कालवित हुए थे। इन दुर्घटनाओं के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदित होकर नौका संबंधी दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कई तात्कालिक एवं दीर्घकालीन उपायों पर काम होने की समय–समय इच्छा व्यक्त करते रहे हैं।

उपरोक्त के आलोक में विगत वर्ष प्राधिकरण द्वारा कार्यशाला के आयोजन के उपरान्त नौका दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु रणनीति एवं कार्य योजना बनाने के लिए कोर कमिटी (प्रारूपण समिति) का गठन किया गया। इसमें परिवहन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों के अतिरिक्त **NDRF, SDRF, NINI** आदि के प्रतिनिधियों सहित अन्य कई विशेषज्ञ भी शामिल थे।

कोर कमिटी की अनुशंसाओं के आलोक में बनी इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन की दिशा में प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से 29 बाढ़ प्रवण जिलों में नाविकों एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित नौका परिचालन हेतु आवश्यक कानूनी प्रावधानों के अनुपालन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नौका दुर्घटनाओं से निपटने की अविकल चिंता के निवारणार्थ, इस मार्गदर्शिका में समाहित किये गये सभी घटकों को ध्यान में रखकर, संबंधित हितधारकों द्वारा समन्वय में कार्य किया जायेगा एवं राज्य में नौका परिचालन को पूर्णत: सुरक्षित एवं निरापद बनाया जा सकेगा। इस मार्गदर्शिका को इस स्वरूप में प्रस्तुत करने के लिए सभी हितभागियों सहित प्राधिकार के सभी अधिकारियों/कर्मियों को साधुवाद! बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉ0 गगन एवं श्री विपिन कुमार राय, **SDRF** के उपसमादेष्टा श्री एस. एस. यादव, यूनिसेफ के परियोजना प्रबंधक श्री घनश्याम मिश्र, प्राधिकार के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री शशिभूषण तिवारी एवं परियोजना पदाधिकारी डॉ. जीवन कुमार विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं।

(डॉ० उदय कांत मिश्र)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800 001

पी.एन.राय, भा.पु.से. (से.नि.)
सदस्य

संदेश

बिहार राज्य में नौकायन स्थानीय स्तर पर यातायात के प्रमुख साधनों में शामिल है। देशी नावों में सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध न रहने, ओवर लोडिंग एवं अन्य कारणों से राज्य में जब तब नाव दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। इन नौका दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष काफी बहुमूल्य जान जाती हैं। नौका यातायात को नियंत्रित रूप से संचालित करने हेतु बिहार सरकार द्वारा 'बिहार आदर्श नौका नियमावली, 2011 लागू की गयी। इस नियमावली का उद्देश्य यह है कि नाव सुरक्षा के समुचित उपाय किए जाय ताकि नाव दुर्घटनाएँ रोकी जा सके एवं उनमें कमी लायी जा सके।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित नौका परिचालन हेतु एक कार्य योजना/ मार्गदर्शिका का निर्माण किया गया है। इस कार्य योजना के निर्माण में परिवहन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारी सहित, **NINI, SDRF, NDRF** आदि के प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। सुरक्षित नौका परिचालन की मार्गदर्शिका का निर्माण एक सरहानीय कदम है जिसके कार्यान्वयन के फलस्वरूप जान–माल की क्षति को कम किया जा सकता है। इसके सफल कार्यान्वयन हेतु मेरी शुभकामनाएँ हैं।

(पी. एन. राय)

विषय सूची

1. पृष्ठभूमि

2. बिहार में नौका दुर्घटनाओं के कारण

3. बिहार में बड़ी नाव दुर्घटनाएँ

4. सुरक्षित नौका परिचालन हेतु कार्ययोजना

   4.1 क्षमता निर्माण (CAPACITY BUILDING)

   4.2 जन-जागरूकता (AWARENESS)

   4.3 प्रवर्तन (ENFORCEMENT)

   4.4 अनुश्रवण में मूल्यांकन (MONITORING AND EVALUATION)

   4.5 अध्ययन एवं शोध (STUDY AND RESEARCH)

1. पृष्ठभूमि

1.1 विशेष भौगोलिक अवस्थिति के कारण बिहार में विभिन्न प्रमुख नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का जाल बिछा हुआ है। बिहार में रहने वाली नदियों में गंगा सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम से पूरब तक बहती हुई बिहार को दो भागों - उत्तर एवं दक्षिण बिहार - में बाँटती है। अन्य प्रमुख नदियों में सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा आदि प्रमुख है। इन नदियों के अलावा अनेकों छोटी नदियों जैसे परमान, बकरा, फल्गू एवं अधवारा समूह की नदियां यहाँ बहती हैं। नदियाँ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इनमें मानसून के दौरान अत्यधिक बरसात एवं अन्य कारणों से बाढ़ आ जाती है।

ऐतिहासिक रूप से सभ्यता का विकास नदियों के आसपास ही शुरू हुआ था। फलतः बड़ी संख्या में लोग अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों, जीविकोपार्जन, कृषि कार्यों एवं परम्पराओं से जुड़े एवं त्योहारों को मनाने हेतु नौका यातायात का उपयोग करते रहे हैं। कई त्योहारों, जैसे मकर संक्रांति, माघ की अमावस्या इत्यादि में ज्यादा संख्या में लोग नदियों में स्नान करते हैं एवं नौका यात्रा करते हैं। इसी प्रकार श्रावण महीने में भगवान शंकर के जलाभिषेक और छठ महापर्व में लाखों की संख्या में लोग सामूहिक रूप से नदियों एवं अन्य जल श्रोतों के किनारे पूजा एवं नौका यात्रा भी करते हैं।

1.2 बिहार राज्य में नौका परिचालन स्थानीय स्तर पर यातायात के प्रमुख साधनों में शामिल है। यद्यपि कि नदियों में पुलों के निर्माण से इसमें कमी आयी है, परन्तु नदी किनारे रहने वाले लोग अभी भी अनेकों कारणों से नाव यातायात का उपयोग करते हैं। बाढ़ के समय दियारा वासियों एवं कई जिलों के जन समुदाय के लिए तो नाव ही यातायात का एकमात्र साधन हो जाती है। देशी नावों में सुरक्षा के आवश्यक प्रबंध न रहने, ओवर लोडिंग एवं अन्य कारणों से राज्य में प्रायः नाव दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। इन नौका दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष काफी बहुमूल्य जिन्दगियाँ असमय काल कवलित हो रही हैं। हालाँकि नदियों पर नए पुलों के निर्माण एवं सुरक्षित नौका परिचालन हेतु सरकार द्वारा जन-जागरूकता एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों के कारण नाव दुर्घटनाओं में कमी आयी है। राज्य में नौका यातायात को नियंत्रित रूप से परिचालन करने के लिए 1885 में बंगाल फेरी एक्ट बनाया गया। परन्तु बंगाल फेरी एक्ट में देशी नावों के विनियमन की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2011 में बंगाल फेरी एक्ट-1885 के तहत -''बिहार आदर्श नौका नियमावली, 2011'' प्रतिपादित की गयी। इस नियमावली का उद्देश्य यह है कि सुरक्षित नाव परिचालन के उपाय किए जाएँ ताकि यथा संभव नाव दुर्घटनाएँ रोकी जा सके अथवा उनमें कमी लायी जा सके।

1.3 सेन्डाई, जापान में आयोजित तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन में अंगीकृत फ्रेमवर्क एग्रीमेंट (SFA) के आलेक में बिहार सरकार द्वारा तैयार किये गये बिहार आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 में बिहार राज्य में आपदाओं के न्यूनीकरण के 4 प्रमुख लक्ष्यों में से एक ''वर्ष 2030 तक

परिवहन सम्बन्धी आपदाओं (रोड, रेल एवं नाव दुर्घटनाओं) में होने वाली मानव क्षति में ठोस कमी (Substantial Reduction) लाने'' का लक्ष्या रखा गया है।

1.4 राज्य के निम्नांकित 29 जिलों में बारहमासी नदियाँ बहती हैं जहाँ नौका यातायात के प्रचलन है। इन जिलों में प्रायः नाव दुर्घटनाएँ होती हैं :

i. दक्षिणी बिहार के जिले :

बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा

ii. उत्तरी बिहार के जिले :

सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, बेगुसराय और खगड़िया।

2. बिहार में नौका दुर्घटनाओं के कारण

राज्य में नौका दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण निम्न हैं:

i. नाव मालिकों, नाविकों एवं यात्रियों में सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता की कमी।

ii. नौकाओं एवं नौका परिचालन में सुरक्षा मानकों एवं नियमों का सही ढंग से अनुपालन नहीं हो पाना।

iii. नाविकों में सुरक्षित नौका परिचालन कौशल का अभाव।

iv. असुरक्षित तथा कम गुणवत्ता की देशी नौकाओं का परिचालन।

उपरोक्त कारण सूत्र रूप में हैं जिन्हें निम्नानुसार समझा जा सकता है :

I. नाव मालिकों, नाविकों एवं यात्रियों में जागरूकता की कमी :

i. नावों में ओवरलोडिंग।

ii. नाव मालिकों, नाविकों एवं यात्रियों में नाव की लदान क्षमता की जानकारी का अभाव।

iii. मवेशियों और मनुष्यों का एक साथ नावों में यात्रा करना एवं करने देना।

iv. नाव मालिकों एवं नाविकों में नाव सुरक्षा उपायों एवं सुरक्षित नौका संचालन की जानकारी का अभाव

v. नाविकों को सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्त जानकारी नहीं होना।

vi. नौकाओं के पंजीकरण/सर्वेक्षण नियमों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होना।

vii. नावों में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं करना।

viii. नाव परिचालन के दौरान नदियों में उफान एवं मौसम के पूर्वानुमान से अनभिज्ञ होना।

II. नौकाओं एवं नौका परिचालन में सुरक्षा मानकों एवं नियमों को सही ढंग से अनुपालन नहीं हो पाना:

i. नौका का निबंधन नहीं होना।

ii. नौकाओं के निबंधन के लिए उत्तरदायी निबंधकों/सर्वेक्षकों को बंगाल फेरी एक्ट एवं बिहार आदर्श नौका नियमावली, 2011 के प्रावधानों की ठीक-ठीक जानकारी न होना।

iii. नौकाओं के सर्वेक्षण एवं निबंधन के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रशिक्षण का अभाव।

iv. निबंधित नावों में भी सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया जाना।

v. नावों में सुरक्षा उपकरणों का अभाव।

vi. आदर्श नौका नियमावली 2011 के प्रवर्तन **(Enforcement)** में कमी।

vii. घाट बंदोबस्तदारों/नाव मालिकों की सुरक्षित नौका संचालन में सक्रिय भागीदारी नहीं होना।

viii पंचायत स्तर पर सुरक्षित नाव परिवहन में पंचायती राज संस्थानों की दिलचस्पी नहीं होना।

ix. यात्रियों द्वारा नौका यात्रा के दौरान अवांछनीय व्यवहार करना जैसे सेल्फी लेना आदि।

III. नाविकों में सुरक्षित नौका परिचालन कौशल का अभाव :

i. नाविकों का सुरक्षित नौका परिचालन में दक्ष न होना।

ii. नाविकों में जीवन रक्षक कौशल **(Life Saving Skill)** की कमी।

iii. नाविकों एवं नाव मालिकों में आदर्श नौका नियमावली 2011 के प्रावधानों एवं नौका परचिालन हेतु सुरक्षा मानकों/उपकरणों के महत्व की जानकारी न होना।

iv. कम गुणवत्ता की नौकाओं का परिचालन :

i. देशी नाव बनाने में संलग्न नाव निर्माताओं/कारीगरों के कौशल में कमी।

ii. नाव निर्माण संरचना/सामग्री की गुणवत्ता की जाँच की संस्थागत व्यवस्था का अभाव।

iii. टूटी-फूटी एवं जर्जर नावों / डोगियों का परिचालन।

iv. सुरक्षित नाव के **design** का नहीं होना।

v. मौका निर्माताओं का निबंधन नहीं किया जाना।

3. बिहार की बड़ी नाव दुर्घटनाएँ

राज्य में प्राय: प्रत्येक वर्ष नाव दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जाती रहती हैं। वर्ष 2004 में छठ के समय नारियल घाट, पटना में गंगा नदी की धारा में यात्रियों से भरी नाव पलट जाने से काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार वर्ष 2009 में विजयदशमी के समय खगड़िया जिले के फुलतोड़ा घाट पर बागमती नदी में चक्रवाती तूफान के कारण नौका पलट जाने के कारण 80 से ज्यादा लोग डूब गये थे। वर्ष 2010 के सितम्बर माह में बक्सर जिले में गंगा नदी पार करने के क्रम में नाव पलटने से 30 से अधिक व्यक्तियों की डूबने से मौत हुई थी। जनवरी 2017 में पटना/छपरा जिले के दियारे में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित पतंग उत्सव से लौट रहे यात्रियों से भरी नौका में पानी भर जाने के कारण नाव पर सवार 25 यात्रियों की मौत हो गयी थी। इन बड़ी दुर्घटनाओं के अलावे बारहमासी नदियों के किनारे बसे जिलों/गाँवों के नागरिकों की नाव दुर्घटनाओं में डूबने से मृत्यु की घटनाएँ प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदित होती रहती है।

4. सुरक्षित नौका परिचालन हेतु कार्ययोजना

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में नौका दुर्घटनाओं को रोकने एवं कम करने के उद्देश्य से सुरक्षित नौका परिचालन हेतु कार्ययोजना की महती आवश्यकता है। तद्नुसार इस कार्ययोजना का सूत्रण किया गया है। इस कार्ययोजना के निम्नांकित घटक **(Component)** होंगे।

(1) क्षमता निर्माण **(Capacity Building)**

(2) जन-जागरूकता **(Awareness)**

(3) प्रवर्तन **(Enforcement)**

(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन **(Monitoring & Evaluation)**

(5) अध्ययन एवं शोध **(Studies Research)**

1. क्षमता निर्माण (Capacity Building) :

आदर्श नौका नियमावली 2011 के नियम 3 के तहत किसी नौका से परिचालन के पूर्व उनका निबंधन होना अनिवार्य है। निबंधन के लिए निबंधन पदाधिकारी निर्धारित हैं, किन्तु यह आवश्यक है कि परिचालित होने वाली नौका के निबंधन के पूर्व निर्धारित मानदंडों के तहत सर्वेक्षण और निरीक्षण का कार्य कर लिया जाय। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कराये गए एक अध्ययन में यह तथ्य उद्घाटित हुआ है कि राज्य में नौकाओं के निरीक्षण के लिए सर्वेक्षक और निबंधक के रूप में प्राधिकृत पदाधिकारी पर्याप्त प्रशिक्षित नहीं हैं। साथ ही यह तथ्य भी उभरा है कि नाव मालिकों ओर नौका चालकों में सुरक्षित नौका परिचालन हेतु आवश्यक कुशलता एवं दक्षता का अभाव है। अतएव सर्वेक्षकों/निबंधकों एवं नाव मालिकों/नाविकों की क्षमता का निर्माण एवं कार्ययोजना का महत्वपूर्ण घटक होगा। इसके अंतर्गत सम्बंधित हितधारकों **(Stakeholders)** हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

(क) सर्वेक्षकों/निबंधकों एवं नाविकों/नाव मालिकों का प्रशिक्षण :

- सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण : सम्बंधित जिला पदाधिकारी आदर्श नौका नियमावली 2011 के नियम 2 (झ) के तहत यथेष्ठ संख्या में पदाधिकारियों को नाव सर्वेक्षक के रूप में प्राधिकृत करने हैं। नियमावली के नियम-36 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा सभी प्राधिकृत नाव सर्वेक्षकों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों एवं राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान **(NINI),** पटना का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता का आकलन **(Need Assessment)** कर मॉड्यूल एवं शिक्षण-अधिगम सामग्रियां विकसित की जाएगी।
- निबंधन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण : आदर्श नौका नियमावली 2011 के नियम 2 (ज) के तहत सम्बंधित जिला पदाधिकारी, बिहार मोटर गाड़ी नियमवाली, 1992 के नियम 2 में यथा परिभाषित जिला परिवहन पदाधिकारी (जो नौका निबंधन पदाधिकारी, के लिए प्राधिकृत है) के अतिरिक्त नौका निबंधन पदाधिकारी के रूप में यथेष्ठ संख्या में पदाधिकारियों को प्राधिकृत करते हैं। सर्वेक्षकों

से भिन्न निबंधन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित होगा। सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण की तर्ज पर निबंधन पदाधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल एवं शिक्षण-अधिगम सामग्रियों विकसित की जाएगी।

- नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण : राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन संस्थान **(NINI),** पटना के सहयोग से सम्बंधित जिलों में सुरक्षित नौका परिवहन हेतु नाविकों/नाव मालिकों को प्रशिक्षित करने हेतु मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया है। इन प्रशिक्षणों हेतु माड्यूल एवं शिक्षण-अधिगम सामग्रियां भी विकसित की जाएगी ताकि मास्टर ट्रेनरों एवं नाविकों/नाव मालिकों के पास संदर्भ पुस्तिका भी उपलब्ध रहे।
- रिफ्रेशर प्रशिक्षण : आवश्यकतानुसार समय-समय पर उपरोक्तानुसार प्रशिक्षित / कार्मिकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित किया जाता रहेगा।

(ख) नाविकों/नाव मालिकों का प्रशिक्षण :

- राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षकों द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिलों में नाविकों एवं नाव मालिकों को सुरक्षित नौका परिचालन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण मात्र एक बार **(One Time)** का नही होकर समय-समय पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण के रूप में दिया जायेगा। [इन प्रशिक्षणों में प्रशिक्षक आदर्श नौका नियमावली के प्रावधानों को लागू करने हेतु नाविकों/नाव मालिकों को अभिप्रेरित करने के साथ आवश्यक तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करावेंगे]। जिला स्तरीय प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- नाविकों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा आवश्कतानुसार नौका परिचालन एवं जीवन रक्षक कौशल का भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इन प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा तकनीकी सहयोग एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वित्तीय सहायता जिलों को उपलब्ध करायी जाएगी।

(ग) पंचायत स्तरीय जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण :

प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के सम्बन्ध में पंचायत स्तरीय जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रशिक्षण का फोकस राज्य एवं जिले की बहु-आपदा प्रवणता के संदर्भ में आपदा जोखिम न्यूनीकरण है। अतएव जिन जिलों/पंचायतों में नाव परिचालन होता है उन जिलों/पंचायतों के प्रतिनिधियों को इस प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षित नाव परिचालन के संबंध में भी संवेदित किया जायेगा।

(घ) नाव निर्माताओं/कारीगरों का प्रशिक्षण :

परिवहन विभाग के सहयोग से नाव निर्माताओं/कारीगरों को मानक स्तर (सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत डिजाईन) के नावों के निर्माण का प्रशिक्षण प्राधिकरण द्वारा दिया जायेगा। परिवहन विभाग द्वारा नाव निर्माताओं/कारीगरों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(च) सुरक्षित नाव का निर्माण/नाविक का अनुज्ञापन :

सुरक्षित नौका परिचालन के लिए यह आवश्यक हे कि सर्वप्रथम सुरक्षित नाव की डिजाइन निर्धारित किया जाए। यह कार्य **NINI** के द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान में स्थानीय स्तर पर असुरक्षित नावें बन रही है। इसलिए नावों के निर्माताओं का निबंधन होना चाहिए। यह कार्य परिवहन विभाग के द्वारा किया जाएगा। निर्बंधित निर्माता से ही नावों का क्रय लोग कर सकेंगे। क्रय करते समय ही मोटर वाहनों के समान ही नावों का निबंधन होना चाहिए। जिस प्रकार मोटर वाहन चालक को अनुज्ञापन लेना होता है। उसी प्रकार नाविकों को अनुज्ञापन लेना अनिवार्य किया जाएगा। उक्त सभी सुरक्षात्मक कार्य परिवहन विभाग में प्रक्रियाधीन है।

(छ) अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण :

यथासाध्य एवं आवश्यकतानुसार अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के कार्यकलाप प्राधिकरण द्वारा किये जायेंगे।

2. जन-जागरूकता (Awareness) :

सुरक्षित नौका परिचालन हेतु नितांत आवश्यक है कि जन-जागरूकता के कार्यक्रम निरंतर चलाये जाएँ और इसके केन्द्र बिन्दु में समुदाय, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय और स्कूलों को रखा जाय। जन-जागरूकता हेतु प्राधिकरण एव जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा निम्नानुसार प्रयास किये जाएगे :

i. मीडिया एवं अन्य माध्यमों जैसे फ्लेक्स, नोटिस बोर्ड आदि के द्वारा सुरक्षित नौका परिचालन हेतु एवं नौका दुर्घटनाओं को रोकने के लिऐ नदी घाटों के स्तर तक विविध हितधारकों के सहयोग से प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन/परिवहन विभाग एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों/प्रशासनों द्वारा जन-जागरूकता के विविध कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

ii. आदर्श नौका नियमावली 2011 के नियम 31 के अंतर्गत दिए गए यात्री आचरण के लिए उल्लिखित बिन्दुओं के प्रचार हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा सामग्री तैयार कर उनका उपयोग जन-जागरूकता कार्यक्रमों में किया जाएगा। जिलों को इन कार्य हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

iii आदर्श नौका नियमावली 2011 के नियम 30 के अंतर्गत मांझी या नाविक को किसी व्यक्ति को यात्री के रूप में अस्वीकार करने के सम्बंध में उल्लिखित बिन्दुओं के प्रचार प्रसार हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा सामग्री विकसित की जाएगी जिसका उपयोग जिलों में किया जाएगा। जिलों को इस कार्य हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

iv सुरक्षित नौका परिचालन के संबंध में "क्या करें, क्या नहीं करें **(Do's and Don'ts)**" संबंधी एडवाइजरी प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रचार माध्यमों में जारी किए जाएँगे।

v स्कूली छात्रों एवं छात्राओं को मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत नौका यात्रा के दौरान अनुपालन किये जाने वाले नियमों (क्या करें, क्या नहीं करें) के संबंध में जागरूक किया जायेगा।

vi **NDRF/SDRF** के माध्यम से चलाये जाने वाले समुदाय जागरूकता कार्यक्रमों **(CAP)** में नौका सुरक्षा सम्बन्धी आदर्श नौका नियमावली और सुरक्षित नौका परिचालन से सम्बंधित जानकारियां सम्मिलित की जाएंगी।

vii जिला प्रशासन द्वारा जिलों में खतरनाक एवं नौका परिचालन हेतु प्रतिबंधित घाटों के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।

3) प्रवर्तन (Enforcement)

i) जिला पदाधिकारी आदर्श नौका नियमावली 2011 के नियम 2 (ज) एवं 2 (झ) में प्रदत शक्तियों का पालन कराना एवं यथेष्ठ संख्या में निबंधन पदाधिकारी तथा नौका सर्वेक्षक प्राधिकृत कर अधिसूचित करेंगे।

ii) प्राधिकृत सर्वेक्षक आदर्श नौका नियमावली 2011 के नियम 9 में दी गयी शर्तों के अनुसार नौकाओं का सर्वेक्षण कर नाव मालिकों से अनुज्ञप्ति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन संकलित करेंगे तथा इसे निबंधन पदाधिकारी (जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी) को अग्रसारित करेंगे।

iii) निबंधन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार नौकाओं का निबंधन घाटों पर निबंधन शिविरों के माध्यम से किया जायेगा। निबंधन के समय ही नौका नियमावली के नियम 7 के तहत नौकाओं पर लोड लाइन अंकित की जायेगी। सर्वेक्षित नौकाओं और निर्बंधित की गयी नौकाओं के सम्पूर्ण कागजातों को जिला-परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा तथा डेटा बेस तैयार होगा।

iv) जिन नौकाओं को निबंधन के योग्य नहीं पाया जाएगा उन्हें मरम्मती हेतु निर्बंधित नौका निर्माताओं के पास भेजने की संस्तुति सर्वेक्षक करेंगे जिनके पास स्थानीय संबंधित नौका निर्माताओं की सूची उपलब्ध होगी।

v) निबंधन पदाधिकारी घाटों/ खतरनाक घाटों का चिन्हीकरण एवं सूचीकरण करेंगे।

vi) चिन्हित खतरनाक घाटों पर नावों के परिचालन को प्रतिबंधित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

vii) निर्बंधित घाटों के अतिरिक्त डोंगियों के परिचालन वाले घाटों पर विशेष चौकसी हेतु व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।

viii) परिवहन विभाग / जिला प्रशासन द्वारा आदर्श नौका नियमावली के प्रावधानों का नाविकों / नाव मालिकों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना एवं प्रमादियों के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाई की जाएगी।

नोट : प्रवर्तन के उपरोक्त कार्य उदाहरण मात्र **(illustrative)** है। पूर्ण **(exhaustive)** नहीं।

4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation)

i. प्राधिकरण स्तर पर इस कार्य योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं योजना के प्रभाव का मूल्यांकन कराया जायेगा।

ii. जिला स्तर पनुश्रवण का कार्य संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी/जिला प्रशासन द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा।

- जिलो में आवश्यकता का आकलन कर यथेष्ठ संख्या में सर्वेक्षक एवं नौका निबंधन पदाधिकारी को नामित करना।
- जिलों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में मास्टर ट्रेनर को नामित करना।
- नाविकों/नाव मालिकों के प्रशिक्षण की अद्यतन स्थिति का लेखा जोखा रखना।
- घाटों, निबंधित घाटों, अनिबंधित घाटों, खतरनाक घाटों, नौका चालकों की घटवार सूची तैयार करने एवं उनके डेटाबेस के संधारण की स्थिति को अपडेट करना।
- त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगर निकाय संस्थान के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए कैलेन्डर तैयारी करना एवं उस पर कड़ाई से अमल करना।
- मासिक बैठकों में आदर्श नौका नियमावली 2011 के अंतर्गत नौका सर्वेक्षण/प्रशिक्षण/निबंधन/निबंधन नवीकरण एवं सुरक्षित नौका परिचालन संबंधी कार्यों की समीक्षा।
- जनजागरूकता की सामग्रियों के वितरण एवं फ्लेक्स बोर्ड आदि के अधिष्ठापन की समीक्षा।
- नदी किनारों पर लगने वाले मेलों, यथा कार्तिक पूर्णिमा मेला, सिमरिया मेला, सोनपुर मेला, श्रावणी मेला आदि एवं नदी/तालाबों के तट पर आयोजित होने वाले पर्व – त्योहारों यथा लोक आस्था का महापर्व छठ एवं सामूहिक स्नान वाले पर्व व्योहारों के आयोजन हेतु हितधारकों के साथ की जाने वाली बैठकों में सुरक्षित नाव परिचालन भी महत्वपूर्ण एजेंडा रखना।

iii. संबंधित पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों की बैठकों में आदर्श नौका नियमावली के प्रमुख प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा एवं सुरक्षित नौका परिचालन से संबंधित विषयों को प्रमुख एजेंडा के रूप में शामिल किया जायेगा।

iv. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति समय-समय पर कार्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकेगी एवं आवश्यकतानुसार निर्देश जारी करेगी।

5 अध्ययन एवं शोध (Studies & Research):

प्राधिकरण एवं जिलों द्वारा नाव दुर्घटनाओं का अध्ययन कराया जाएगा तथा अध्ययन से उभरे बिन्दुओं के आलोक में इस कार्य योजना को आवश्यकतानुसार बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही नौका परिचालन को सुरक्षित बनाने हेतु शोध **(Action Research)** की परियोजनाएँ भी ली जाएगी।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना फोन : 0612-2522032, फैक्स : 0612-2532311

ई-मेल : info@bsdma.org Website : www.bsdma.org